राजनीतिक प्रस्ताव

(1)
शहीदों को श्रृद्धांजलि

पिछले सम्मेलन के बाद के इन पांच वर्षों के दौरान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अनेकानेक कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने कम्युनिज्म के आदर्शों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।

हमारे देश में भी प्रतिक्रियावादी शासकों की गोलियों का सामना करते हुए कम्युनिज्म के उदात्त आदर्शों से अनुप्राणित होकर बहुत सारे कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है।

हमारे देश में और दुनिया में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के हमलों का सामना करते हुए मजदूर वर्ग के सपूतों ने अपनी जान गंवाई है।

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में साम्राज्यवादी आक्रमण और नस्लवादी हमलों का शिकार व्यापक मजदूर-मेहनतकश आबादी हुई है।

साम्राज्यवादी आक्रमण, हस्तक्षेप और प्रतिक्रियावादी तानाशाहों की हुकूमत से लड़ते हुए दुनिया के कोने-कोने में भारी संख्या में लोगों ने कुर्बानियां दी हैं।

मध्य भारत और पूर्वी भारत में सत्ताधारी वर्ग के व्यापक दमन का सामना करते हुए आदिवासी, दलित और मेहनतकश लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है।

यह सम्मेलन इन सभी शहीदों को अपनी भावभीनी श्रृद्धांजलि देता है और उनके सम्मान में लाल झंडे को झुकाता है।

यह सम्मेलन संकल्प लेता है कि पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था के खात्मे के लिए संघर्ष को और तेज करके इन शहीदों के खून का बदला लेगा।

■■■

भूमि अधिग्रहण के बारे में

मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में संशोधन करके उसे अध्यादेश के रूप में दुबारा जारी कर दिया है। वह यह सब बड़े पूंजीपतियों के फायदे के लिए बेशर्मी की हद तक जाकर कर रही है। इसने पहली बार यह अध्यादेश दिसम्बर, 2014 में जारी किया था। लेकिन राज्य सभा में पारित होने में बाधाओं को देख कर उसने इसे फिर से अप्रैल, 2015 में, उस समय जारी कर दिया जब इसकी अवधि समाप्त हो रही थी।

बड़े पैमाने पर किसानों और आदिवासियों को जबरन जमीनों से उजाड़ने का काम ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने किया था। इसके लिए उन्होंने 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून लागू किया था। आजादी के बाद की सरकारें इसी औपनिवेशिक कानून के तहत किसानों व आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करती रही हैं। वे यह बेदखली सार्वजनिक उद्देश्य और औद्योगिकरण करने के नाम पर करती रही हैं। इस बेदखली में किसानों-आदिवासियों की कोई आवाज नहीं होती थी। एक अनुमान के अनुसार, 2012 तक विकास परियोजनाओं के नाम पर 6- 6.5 करोड़ लोगों का विस्थापित किया गया। इन विस्थापितों में ज्यादातर ग्रामीण गरीब और आदिवासी थे। अपनी रोजी और आवास से वंचित इन लोगों के पुनर्स्थापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी।

पूंजीवाद ऐतिहासिक तौर पर किसानों को जमीनों से बेदखल करके उन्हें कंगाली की हालत में धकेलता रहा है और उन्हें जबरन औद्योगिक रिजर्व सेना में भरती करने की ओर ले जाता रहा है। यही काम भारतीय पूंजीवाद ने भी किया है।

व्यापक किसान आबादी और आदिवासी लोगों के भारी विरोध और गुस्से के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 पारित हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि यह अधिनियम ग्रामीण गरीबों व आदिवासियों के पक्ष में था। इसे भी पूंजीपति वर्ग के पक्ष में पारित किया गया था। इसे पारित करने में भाजपा सहित सभी पूंजीवादी व संशोधनवादी पार्टियों में आम सहमति थी।

2013 के अधिनियम में ग्रामीण गरीबों-मेहनतकशों की दृष्टि से बहुत दिक्कतें थीं। इसमें ग्रामीण सर्वहाराओं और छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन मोदी सरकार द्वारा उन नाममात्र की सुरक्षा के भी प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव कर दिया गया है, जिन्हें 2013 के अधिनियम में स्वीकार किया गया था।

मोदी सरकार ग्रामीण गरीबों व छोटे-मझोले किसानों के हितों की बलि देकर बड़े औद्योगिक घरानों के लाभ के लिए इस अध्यादेश को दुबारा जारी करके इसे संसद के मानसून सत्र में पारित कराने पर आमादा है। मोदी सरकार और उनका प्रचार तंत्र इस अध्यादेश का विरोध करने वालों को विकास विरोधी बता रहा है।

मोदी सरकार द्वारा पेश किये गये संशोधनों में मुख्य जोर इस बात पर है कि जमीन से बेदखल किये जाने वाले लोगों की सहमति लेने के जरूरी प्रावधान को अत्यंत कमजोर कर दिया जाय। अब जरूरी सहमति से बचने के दायरे में निजी सार्वजनिक साझेदारी के आधार पर अवरचनागत उद्योगों के साथ-साथ औद्योगिक गलियारा सभी शामिल हैं। वस्तुतः इसमें तकरीबन सभी परियोजनायें आ जाती हैं। इन संशोधनों के मुताबिक ज्यादातर परियोजनाओं को किसी भी तरह के सामाजिक प्रभाव आकलन से मुक्त कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार को न तो प्रभावित लोगों की तादाद से कोई सरोकार है और न ही इन परियोजनाओं के लागू होने से पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव के मामले में उनकी लागत-फायदे के विश्लेषण से कोई मतलब है। सर्वोपरि, किसी खास परियोजना के लिए आवश्यक जमीन के आकलन को अनदेखा कर दिया गया है। इस अध्यादेश के अनुसार, पूंजीवादी घरानों को जमीनों पर कब्जा करने और उसके मनमाने उपयोग की खुली छूट होगी।

2013 के अधिनियम के अंतर्गत बहुफसली सिंचित जमीनों के अधिग्रहण न करने सम्बन्धी कुछ नाममात्र की छूट मिली हुई थी। अब इस अध्यादेश में इस सुरक्षा को पूर्णतया हटा लिया गया है।

2013 के अधिनियम में इस बात का प्रावधान रखा गया था कि जिस उद्देश्य से जमीन अधिाग्रहित की गयी है, यदि उसका उपयोग 5 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता तो उसे वापस करना होगा। इस अध्यादेश में इस प्रावधान को कमजोर कर दिया गया है। औद्योगिक गलियारे से गुजरने वाले राजमार्गों और रेल मार्गों के दोनों तरफ एक किमी. तक की जमीनों का अधिग्रहण करने का इस संशोधन में प्रस्ताव है। इन जमीनों को अधिग्रहित करके इन्हें पूंजीपतियों को दे दिया जायेगा। इस अधिग्रहण में किसानों की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

मोदी सरकार द्वारा पूंजीपतियों के लिए यह अधिग्रहण अध्यादेश ऐसे समय में लाया जा रहा है जब कैग की रिपोर्ट में यह साफ-साफ कहा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम पर जमीनों के अधिग्रहण के मामले में 17 राज्यों में नियमों का व्यापक उल्लंघन हुआ है। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 2014 तक 45635.63 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गयी थी, जबकि काम सिर्फ 28488.49 हेक्टेयर जमीन पर शुरू हुआ।

इसका मतलब स्पष्ट है कि उद्योगों के लिए पहले से अधिग्रहित जमीन का या तो उपयोग नहीं किया गया या उनका गलत उपयोग किया गया है।

मोदी सरकार द्वारा पेश इस अध्यादेश का विरोध विभिन्न पूंजीवादी पार्टियों, संशोधनवादियों और तरह-तरह के गैर सरकारी संगठनों द्वारा किसानों का हिमायती बनने का स्वांग रचने के बतौर किया जा रहा है। वे किसी न किसी रूप में व्यापक मेहनतकश किसान आबादी की कंगाली, बदहाली के लिए कमोबेश जिम्मेदार हैं। वे किसानों की जमीनों की लूट के विरुद्ध तो बोलते हैं लेकिन वे पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने की हिमायत करते हैं।

सम्मेलन की स्पष्ट समझ है कि किसानों की जमीन की इस लूट के विरुद्ध संघर्ष जब तक समूची पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष के साथ घनिष्ठता से नहीं जुड़ता तब तक मेहनतकश किसानों की बदहाली व फटेहाली कम नहीं होगी। मेहनतकश किसानों के इस संघर्ष की अगुवाई केवल मजदूर वर्ग ही कर सकता है। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतें ही मौजूदा किसानों की जमीनों की लूट को पूंजीवादी व्यवस्था को खतम करने के संघर्ष के हिस्से के बतौर समाप्त करने की ओर ले जा सकती हैं।

यह सम्मेलन देश के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों का आह्वान करता है कि वे इस संघर्ष को पूंजीवादी व्यवस्था विरोधी संघर्ष के बतौर विकसित करने की पुरजोर कोशिश करें।

यह सम्मेलन देश के मेहनतकश किसानों का आह्वान करता है कि वे अपना एका मजदूर वर्ग के साथ कायम करें। पूंजीवादी व संशोधनवादी पार्टियां उन्हें पूंजीवादी लूट से मुक्त नहीं कर सकतीं।

यह सम्मेलन संकल्प लेता है कि वह अपनी ताकत भर इस किसानों की लूट वाले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का पुरजोर विरोध करेगा।

■■■

साम्राज्यवाद और इस्लामी आतंकवाद के बारे में

मौजूदा समय में इस्लामी आतंकवाद की विश्वव्यापी चर्चा हो रही है। अमरीकी साम्राज्यवादी और उसके सहयोगी पश्चिमी यूरोपीय साम्राज्यवादी लम्बे समय से "आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध" चलाने के नाम पर विभिन्न देशों के नागरिकों की हत्यायें कर रहे हैं, शहरों को ध्वस्त कर रहे हैं और अपनी नापसंद हुकूमतों का परिवर्तन कर रहे हैं।

साम्राज्यवादी शक्तियां मुस्लिमों के विरुद्ध विश्वव्यापी प्रचार अभियान चला रही हैं। इस सबका एक ही मकसद है वहां के तेल गैस संसाधनों पर कब्जा करना। दुनिया के कच्चे तेल भंडार का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा मुस्लिम बहुल देशों में हैं। इसलिए इस आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के साम्राज्यवादी प्रचार का उद्देश्य भू-राजनीतिक और आर्थिक है। यह प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई का एक हिस्सा है। यह उन तेल समृद्ध देशों के निवासियों को बदनाम कर, उनकी संस्कृति और सभ्यता को बर्बर बताने तथा उनका शैतानीकरण करने में लगातार किया जा रहा है। यदि तेल भंडार किसी अन्य धार्मिक समुदाय के देशों में होता तो साम्राज्यवादी प्रचारतंत्र उस धार्मिक समुदाय को भी इसी तरह शैतान कहके पेश करता।

अमरीकी साम्राज्यवाद सहित विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के नाम पर विभिन्न देशों के विरुद्ध हमला और हुकूमत परिवर्तन करने का मकसद प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करना है।

साम्राज्यवादी प्रचार तंत्र मुस्लिमों को इस रूप में चित्रित कर रहा है कि वे आतंकवाद का समर्थन करते हैं। जबकि इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि अल कायदा से जुड़े विभिन्न आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने और उनकी हिफाजत करने में सी.आई.ए, एम–16, मोस्साद इत्यादि साम्राज्यवादी और उनके सहयोगी देशों की खुफिया एजेन्सियां लगी रही हैं।

ओसामा बिन लादेन को सी.आई.ए. ने भर्ती किया था। अलकायदा को अमरीकी साम्राज्यवादियों की विदेश नीति के स्वार्थों को पूरा करने के लिए खड़ा किया गया था। इसी प्रकार इस्लामिक स्टेट (IS) की अमरीकी साम्राज्यवादी व उसके सहयोगी न सिर्फ रक्षा कर रहे हैं बल्कि अमरीकी साम्राज्यवादी व नाटो उसके आतंकवादियों को प्रशिक्षण व वित्तीय मदद भी कर रहे हैं। उनके इस काम में सहयोग इजरायल और खाड़ी के देशों की अमरीकी साम्राज्यवादियों की सहयोगी हुकूमतें भी कर रही हैं।

अल कायदा से सम्बद्ध विभिन्न संगठन पश्चिम एशिया, उप सहारा अफ्रीका और एशिया में कार्यरत हैं और उन्हें सी.आई.ए. द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। आई.एस. की खलीफा परियोजना लम्बे समय से अमरीकी विदेश नीति का हिस्सा रही है। अमरीकी साम्राज्यवादी इराक और सीरिया को अलग-अलग टुकड़ों में बांटना चाहते हैं।

इन सभी आतंकवादी संगठनों की मदद से अमरीकी व पश्चिमी साम्राज्यवादी विभिन्न देशों में तबाही मचाते हैं, अंदरूनी टकराहटें पैदा करते हैं और सम्प्रभुता सम्पन्न देशों में अस्थिरता पैदा करते हैं।

नाइजीरिया में बोकोहरम, सोमालिया में अल शबाब, लीबिया में लीबिया इस्लामी फाइटिंग ग्रुप, इण्डोनेशिया में जेमा इस्लामिया इत्यादि ऐसे अल कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन हैं जिनको पश्चिमी देशों के साम्राज्यवादी छिपे तौर पर समर्थन करते हैं। इसी प्रकार चीन के सिंक्यांग प्रांत के आतंकवादी गुट को अमरीकी साम्राज्यवादी समर्थन करते हैं।

वस्तुतः अमरीकी साम्राज्यवादी अपने पश्चिमी साम्राज्यवादी सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य प्रायोजित आतंकवाद के सबसे बड़े अपराधी हैं यह अमरीकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में चलने वाला थोक आतंकवाद है जो समूची दुनिया में तबाही मचा रहा है।

वे इस थोक आतंकवाद पर पर्दा डालने के लिए बेशर्मी के साथ झूठ का सहारा लेते हैं। वे इसे कभी आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध कहते हैं तो कभी तानाशाहों के विरुद्ध जनतंत्र की लड़ाई कहते हैं और तो कभी "मानवीय सहायता" कहते हैं।

इस थोक आतंकवाद के विरुद्ध राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध स्थानीय पैमाने के फुटकर आतंकवाद भी अलग-अलग देशों में पैदा हुए हैं। ये फुटकर इस्लामी आतंकवादी संगठन प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुए हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद ने इनके पैदा होने और फलने फूलने की जमीन तैयार की है। यह निम्न पूंजीवादी तबके की अपमानित होने और निराशा भरे गुस्से की उपज है। मुस्लिम देशों में या मुस्लिम आबादी के बीच फैली इस निराशा से इस्लामी कट्टर पंथ के मजबूत होने का एक कारण यह है कि इन देशों में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में चलने वाले मजदूरों-मेहनतकशों के आंदोलन कमजोर हैं। फलतः वास्तविक मुक्ति के संघर्ष में उतरने का स्थान काल्पनिक मुक्ति ले रही है। इस्लामी कट्टरपंथ उन्हें जिहाद की धारणा देता है और इसमें वे अपनी काल्पनिक मुक्ति देखते हैं।

साम्राज्यवादियों के राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया में पैदा होने वाले इस फुटकर इस्लामी आतंकवाद से मुस्लिम आबादी वाले देशों की जनता की वास्तविक मुक्ति नहीं हो सकती। अन्य आतंकवाद की तरह इस्लामी आतंकवाद भी अपने घोषित उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकता।

मुस्लिम बहुल देशों के मजदूरों-मेहनतकशों की वास्तविक मुक्ति साम्राज्यवाद और अपने देश के प्रतिक्रियावादी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करके लूट के निजाम को समाप्त करने से ही हो सकती है।

इस सम्मेलन की स्पष्ट समझ है कि साम्राज्यवादियों के राज्य प्रायोजित आतंकवाद का विरोध मजूदरों-मेहतनकशों के व्यापक संघर्षों के जरिये किया जाना चहिए। फुटकर इस्लामी आतंकवाद आत्मघाती रास्ते के सिवाय और कुछ नहीं है।

इस सम्मेलन की यह भी स्पष्ट राय है कि साम्राज्यावाद के राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष साम्राज्यवादी-पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का एक हिस्सा है। इसलिए शांतिवादी आंदोलनों के जरिये इस संघर्ष को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता है।

शांतिवादी आंदोलन जब तक साम्राज्यवादी-पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष के एक हिस्से के बतौर नहीं चलाया जाता, वह तब तक महज शांति की पवित्र काल्पनिक भावनायें ही रह जाता है।

यह सम्मेलन अमरीकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में विभिन्न साम्राज्यवादियों के राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक मजदूर-मेहनतकश आबादी को जागरूक, गोलबंद और संगठित करने का संकल्प लेता है। यह सम्मेलन फुटकर इस्लामी आतंकवाद को बेनकाब करने और उसे मजदूर-मेहनतकश आबादी के मुक्ति संघर्ष में बाधा पहुंचाने के तरीके के बतौर देखता है और उसका भी विरोध करने का संकल्प लेता है।

■■■

देश में फासीवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ

देश की केन्द्रीय सत्ता पर भाजपा के काबिज होने से आज संघ के नेतृत्व वाला हिंदू फासीवादी आंदोलन अपने इतिहास की सबसे ताकतवर स्थिति में पहुंच चुका है।

एकाधिकारी पूंजी और फासीवादी संघ के नापाक गठजोड़ से सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार जहां एक ओर पूंजी के हित में एक के बाद एक निर्णय ले रही है वहीं दूसरी ओर वह संघ के एजेण्डे को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है।

एक वर्ष के अपने शासनकाल में इसने संघ की पाठशाला में पढ़े तत्वों को सरकारी संस्थाओं में बैठाया। इतिहास व शिक्षा को संघी चश्मे से रूपान्तरित करने के प्रयास शुरू किये। समाज में धर्मान्तरण, लव जेहाद सरीखे मुद्दों को हवा दे साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने का काम किया। सरस्वती पूजा, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ, गौ हत्या पर देश भर में प्रतिबंध आदि मुद्दों पर बहस पैदा कर अपने एजेण्डे को आगे बढ़ाया। मोदी ने स्वयं हिटलर की नकल करते हुए खुद को सुपनमैन की तरह स्थापित करने में समूचे पूंजीवादी मीडिया को लगा दिया।

आज संघ के नेतागण राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर सीधे प्रसारित होने लगे हैं वे देश को खुलेआम हिंदू राष्ट्र करार दे रहे हैं तो शिव सेना के नेता मुसलमानों से वोट का अधिकार छीनने सरीखे बयान दे रहे हैं। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता के चीथड़े स्वयं सत्ताधारी उड़ाने में जुटे हैं।

संघ की गुण्डा वाहिनी के रूप में उसके संगठन 'नैतिक पुलिस' का काम करने लगे हैं। अक्सर ही अल्पसंख्यक समुदाय उनके हमलों का निशाना बन रहा है। हालांकि इनकी कुल सोच समाज में महिलाओं-दलितों के जीवन को भी दुष्कर बनाने की ओर ले जा रही है।

संघ एक राष्ट्र एक भाषा एक संस्कृति की वकालत करता हुआ भारतीय समाज का सबसे खतरनाक फासीवादी संगठन है। आज सत्ता में भाजपा के आने का लाभ उठाते हुए वह अपने जहरीले पंजे चारों दिशाओं में फैलाने में जुटा है। उसका लक्ष्य एक ऐसे हिंदू फासीवादी राष्ट्र की स्थापना करना है जहां जनता के लिए किसी भी तरह का जनवाद न हो।

संघ के जनवाद विरोधी लक्ष्यों के अनुरूप मोदी सरकार मेहनतकश जनता के जनवाद को कुचलने का पूरा प्रयास कर रही है। आज सरकार का विरोध करना अधिकाधिक कठिन बनाया जा रहा है। भाजपा-मोदी के विरोध को देश विरोधी घोषित करने की कवायदें चल रही हैं। तमाम आंदोलनों से लाठी-गोली की भाषा से निपटा जा रहा है। गुजरात की भाजपा सरकार नये दमनकारी कानून को लागू कर जनवाद का गला घोंटने में अग्रणी है।

हालांकि देश में मौजूद क्षेत्रीय-जातिगत विभाजन, शासक वर्ग के विभिन्न धड़ों के हितों आदि के साथ पूंजीपति वर्ग उतनी दूर जाने को तैयार नहीं है जितना संघ चाहता है। पर इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में पूंजीवादी संकट के और गहराने व मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी संघर्ष के आगे बढ़ने की स्थिति में एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग संघ को हिंदू फासीवादी राष्ट्र कायम करने की छूट प्रदान कर दे। इसीलिए आज फासीवाद के आसन्न खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता।

अभी ही खासी निरंकुशता से मजदूरों-किसानों पर हमले बोल रही सरकार पूर्ण निरंकुश हो जाने की दशा में जनता के जीवन को नारकीय बना देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हिटलर मुसोलिनी सरीखी निरंकुशता व दमन भारतीय जनता को झेलना पड़ेगा।

ऐसे में फासीवाद के इस खतरे को वक्त रहते चुनौती देना और परास्त किया जाना जरूरी है। देश में मौजूद मजबूत फासीवादी आंदोलन मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को कुचलने का हर सम्भव प्रयास करेगा। वह जनवाद का गला घोंट निरंकुशता कायम करने की ओर बढ़ेगा। जाहिर ही है कि इस सबसे जनता को संगठित करना, उनके संघर्षों को संचालित करना अधिकाधिक कठिन होता जायेगा।

आज देश में मजबूत फासीवादी आंदोलन को चुनौती देने का काम मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा पर खड़े होकर ही किया जा सकता है। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में लोकप्रिय फासीवाद विरोधी मोर्चों का निर्माण करके ही फासीवादी ताकतों का जनाधार खिसकाया जा सकता है और उन्हें अलगाव में डाला जा सकता है। देश में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन फासीवादी खतरे को माकूल चुनौती देने के लिए जरूरी है।

फासीवादी आंदोलन के हर किस्म के हथकंडों लफ्फाजी-झूठों को जनता में बेनकाब करना, उसके हर हमले का मुकम्मल प्रतिरोध करना, मेहनतकशों की वर्गीय एकता को कमजोर करने की हर कोशिश को नाकाम करना आज हमारी महती जिम्मेदारी बनती है।

यह सम्मेलन फासीवाद के खिलाफ संघर्ष को अपना महत्वपूर्ण कार्यभार घोषित करता है तथा भारत की मजदूर-मेहनतकश आबादी को इसके खिलाफ लामबंद करने का संकल्प लेता है।

■■■

विश्व आर्थिक संकट और तद्जन्य संघर्षों के बारे में

विश्व आर्थिक संकट अपने आठवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है दुनिया के इस संकट से बाहर निकलने की फिलहाल कोई संभावनायें नजर नहीं आ रही हैं। इन 8 वर्षों में इस संकट ने अमेरिका से शुरू होकर यूरोप को अपनी जद में लिया और धीरे-धीरे फैलते हुए स्थिति वहां जा पहुंची जहां यह कहा जा सकता है कि आज दुनिया का कोई देश इसकी जद से बाहर नहीं है।

पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया बारम्बार संकटों का शिकार होने को अभिशप्त है। इन अर्थों में मौजूदा संकट पूंजीवादी उत्पादन की आम गतिकी और खास तौर पर पिछले 3-4 दशकों से जारी उदारीकरण वैश्वीकरण की नीतियों का परिणाम है।

पिछले 3-4 दशकों से जारी उदारीकरण-वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों के जरिये पूंजीपति वर्ग ने पहले से ही वैश्विक पैमाने पर मजदूर-मेहनतकशों पर हमला बोल रखा था अब आर्थिक संकट के इस काल में जब ये हमले और तेज हो उठे तब दुनिया भर की मेहनतकश जनता का इन हमलों के खिलाफ उठ खड़े होना लाजिमी था। एक के बाद एक देशों में जनता ने शासकों के प्रतिरोध में अपनी व्यापक पहलकदमी प्रदर्शित करनी शुरू कर दी।

विगत वर्षों में जनता की पहलकदमी ने अरब जगत के जनविद्रोहों को पैदा किया जिसकी धमक से वर्षों से काबिज शासकों की सत्तायें डोलने लगीं। इसी पहलकदमी ने यूरोप में आस्टिरीटी विरोधी प्रदर्शनों तो अमेरिका में आक्यूपाई आंदोलन को पैदा किया। चिली में छात्रों का संघर्ष तो दुनिया भर में आटो-खनन-गारमेंट क्षेत्र में मजदूरों के संघर्ष इस दौरान उल्लेखनीय रहे। मिश्र के तहरीर चौक का जमावड़ा संघर्ष के प्रमुख रूप के तौर पर बार-बार दोहराया जाने लगा।

संकट के इस काल में मजदूर-मेहनतकश जनता के संघर्षों में वैश्विक तौर पर बढ़ोत्तरी दिख रही है। इतिहास का निर्माण जनता करती है यह बात एक बार फिर से व्यवहार में हमारे सामने पुष्ट हो रही है। संकट ने वैश्विक पैमाने पर कार्यरत तीनों अंतर्विरोधों श्रम और पूंजी, साम्राज्यवाद और तीसरी दुनिया की जनता और साम्राज्यवादियों के आपसी अंतर्विरोधों को तीखा किया है। ढेरों देशों में संकट राजनैतिक अस्थिरता के रूप में भी अपने आप को अभिव्यवक्त कर रहा है। कुल मिलाकर वैश्विक परिस्थितियां उस ओर बढ़ रही हैं जहां कहा जा सकता है कि क्रांति की वस्तुगत परिस्थितियां अधिक मुकम्मल होती जा रही हैं।

अभी तक इस संकट से पैदा हुए संघर्षों ने जहां दुनिया भर में मजदूरों-मेहनतकयों के संघर्ष के जज्बे को प्रकट किया वहीं इन संघर्षों का नेतृत्व कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के हाथों में न होने से इनके व्यवस्था के दायरे में सिमट जाने के रूप में इनकी सीमायें भी उजागर कर दीं। अरब जगत के जन विद्रोह अब तक कोई महत्वपूर्ण बदलाव हासिल नहीं कर पाये यहां तक कि साम्राज्यवादी लीबिया-सीरिया में इन जन विद्रोहों का अपने एजेण्डे के लिए इस्तेमाल करने में भी नहीं चूके।

आज इन संघर्षों को पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति की दिशा में ले जाने वाली सही सिद्धान्त पर खड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों की नामौजूदगी संघर्ष के विस्तार में बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रही है। विभिन्न देशों में संघर्षों में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ग्रुप तो सक्रिय रहे हैं पर वे अभी तक देशों के पैमाने पर एकता कर कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना नहीं कर पाये हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व के बगैर ये संघर्ष बगैर किसी खास बदलाव के या बेहद मामूली बदलाव के साथ पूंजीवादी दायरे मे सिमटने को अभिशप्त रहेंगे।

जहां एक ओर दुनिया भर में जन संघर्षों में उभार आ रहा है वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में प्रतिक्रियावादी पूंजीपति वर्ग के प्रश्रय से फासीवादी ताकतें भी अपने पैर पसार रही हैं या यूं कहें कि जनता के क्रांतिकारी संघर्षों की संभावना को कुचलने के लिए शासक वर्ग इन्हें आगे बढ़ा रहा है। ढेरों देशों में नस्लीय, धार्मिक हमलों-दंगों में वृद्धि हो रही है। चुनावों में इन ताकतों का मत प्रतिशत तमाम देशों में बढ़ रहा है। एक बार फिर से फासीवाद का खतरा कम या ज्यादा कई देशों में महसूस किया जा रहा है। हमारे देश में भी इसे साफ महसूस किया जा सकता है जहां फासीवादी पार्टी सत्ता पर काबिज हो चुकी है।

मौजूदा वक्त हम क्रातिकारियों के लिए खासी सम्भावनायें व चुनौतियां लिए हुए है। आर्थिक संकट दुनिया को निरंतर उस दिशा में ले जा रहा है जहां से दुनिया या तो समाजवाद की ओर बढ़ेगी या फिर से उसे फासिज्म की विभीषिका को झेलना पड़ेगा।

पूंजीवादी संकट का लगातार खींचते जाना हमारे सामने संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आने वाला वक्त ऐसे उन्नत धरातल के जनसंघर्षों को पैदा कर सकता है जिनके आगे अरब जगत के जनविद्रोह मामूली साबित हो जायेंगे। जिनकी धमक में पूंजीवादी सत्ताएं और फासीवादी ताकतें विलीन हो जायेंगी और समाजवाद के नये सवेरे का उदय होगा। जाहिर है इस सबके लिए हम क्रांतिकारियों को अनथक प्रयास करने होंगे।

यह सम्मेलन सम्भावनाओं और चुनौतियों से भरे इस वक्त को चिह्नित करते हुए समाजवाद की दिशा में दुनिया को ले जाने के अपने प्रयासों को तीव्र करने का संकल्प लेता है।

■■■

(6)

श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में

केन्द्र में सत्तासीन मोदी सरकार ने श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव ला कर मजदूर वर्ग पर एक बड़ा हमला बोला है। व्यवहार में ढेरों श्रम कानूनों का पूंजीपति वर्ग व सरकारें पहले से ही आधा-अधूरा पालन करती रही हैं। अक्सर ही इन कानूनों का पालन कराने तक के लिए मजदूरों को संघर्ष का सहारा लेना पड़ता रहा है। अब सरकार कई श्रम कानूनों में संशोधन कर मजदूरों से ढेरों सहूलियतें कानूनी तौर पर भी छीन लेने पर उतारू है।

फिलहाल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम 1961, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम और कुछ उद्योगों को रिटर्न भरने व रजिस्टर रखने से छूट संबंधी अधिनियम 1988 में मजदूर विरोधी संशोधन प्रस्तावित किये हैं। सरकार इन संशोधनों को संसद से पास कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है और लोक सभा में अपने बहुमत का इस्तेमाल कर एकाध को पास भी करा चुकी है।

ये संशोधन जहां एक ओर मजदूर वर्ग की श्रम दशाओं को और बदहाली की ओर ढकेलने की कोशिश हैं वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग के संगठित प्रतिरोध को कमजोर करने का भी इंतजाम करते हैं। पूंजीपति वर्ग को मजदूर वर्ग का खून चूसने की और अधिक छूट देने का इंतजाम ये संशोधन करते हैं।

पूंजीपति वर्ग श्रम कानूनों में संशोधन की मांग लम्बे समय से करता रहा है। उसकी ख्वाहिश रही है कि उसे मजदूरों के निर्बाध शोषण का हक मिल जाये। स्थापित ट्रेडयूनियनों द्वारा क्रांतिकारी संघर्षों से किनाराकशी करने से 80 के दशक से ही पूंजीपति वर्ग को हमलावर होने का मौका मिल गया। बाद में उदारीकरण वैश्वीकरण के दौर में उसकी श्रम कानूनों में बदलाव की मांग मुखर होती गयी। उसकी इस मांग को ही सूत्रित अभिव्यक्ति द्वितीय श्रम आयोग की 2002 में जारी रिपोर्ट में मिली। तत्कालीन सरकारें इस दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ा कर पूंजीपति वर्ग को संतुष्ट करती रहीं। 2007 से दुनियाभर में जारी विश्व आर्थिक संकट ने भारत के पूंजीपति वर्ग को भी संकट की ओर ढकेला। ऐसे में इस संकट की भरपाई के लिए पूंजीपति वर्ग व उसकी सरकारें मजदूर वर्ग पर और हमला बोलने को उतारू हो गये। कांग्रेस को इस सबके लिए मुफीद न पाकर पूंजीपति वर्ग ने खूब तामझाम व खर्च से मोदी को सत्ता पर पहुंचा दिया।

आज मोदी सरकार मजदूर वर्ग पर एक के बाद एक हमले बोल पूंजीपति वर्ग को खुश करने में जुटी है। श्रम कानूनों में संशोधन इसी का एक हिस्सा है। भाजपा की राजस्थान व महाराष्ट्र सरकार तो इस मामले में केन्द्र सरकार से भी दो कदम आगे निकल चुकी हैं। पर साथ ही पूंजीपति वर्ग का मुंह और बदलावों के लिए और चौड़ा होता जा रहा है। वह मजदूरों से यूनियन बनाने का अधिकार छीनने, हड़ताल का अधिकार छीनने, मनमाफिक तालाबंदी-छंटनी का अधिकार पाने आदि आदि के कानूनी प्रावधान बनाने की मांग कर रहा है।

भारत के मजदूर वर्ग पर आज बोला जा रहा हमला उदारीकरण-वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में और खासकर विश्व आर्थिक संकट के समय में पूरी दुनिया में पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रम पर बोले जा रहे हमले का ही एक हिस्सा है। वैश्विक पैमाने पर जहां पूंजी श्रम पर एक के बाद एक हमले बोल रही है वहीं मजदूर वर्ग भी एक के बाद एक जुझारु संघर्षों-प्रदर्शनों से पूंजी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है।

आज हमारे देश में भी शासक वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग पर श्रम कानूनों में बदलाव के रूप में किये जा रहे हमले का पुरजोर जवाब देने की जरूरत बनती है। पूंजीवादी संशोधनवादी पार्टियां व उनकी ट्रेड यूनियनें इस काम में अक्षम हैं।

पिछले वर्षों में हमारे देश में मजदूर संघर्षों में आई तेजी इस बात की ओर संकेत करती है कि अगर मजदूर वर्ग के ये संघर्ष क्रांतिकारी राजनीति से लैस व देश व्यापी पैमाने पर एकजुटता कायम कर लें तो ये शासक वर्ग के राजनैतिक हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का जरिया बन सकते हैं। यह सम्मेलन इस दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाने का संकल्प लेता है।

■■■